उत्तर प्रदेश शासन,
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या–882 / 43–2–2008–15 / 2(3) / 07 टीसी–III
लखनऊ : दिनांक: 7 जुलाई, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियों एवं पारित अन्तिम आदेशों / दण्डादेशों के नियमित अनुश्रवण हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है–

1– मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
3– प्रमुख सचिव / सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य–सचिव
4– प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
5– प्रमुख सचिव / सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग	सदस्य
6– सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग	सदस्य

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या 882(1) / 43–2–2008–15 / 2(3) / 07टीसी–III तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– समस्त संभागीय आयुक्त।
2– प्रमुख सचिव / सचिव, वि0प्र0शासन।
3– सचिव, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(अनीता सिंह)
सचिव।